



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1942 (श10)

(सं0 पटना 631) पटना, बुधवार, 23 सितम्बर 2020

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2020

एस0 ओ0 179, दिनांक 23 सितम्बर 2020— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2020	330	4.63 X 4.93	7532.54
फरवरी, 2020	328	4.63 X 4.93	7486.89
मार्च, 2020	326	4.63 X 4.93	7441.24
अप्रैल, 2020	329	4.63 X 4.93	7509.72
मई, 2020	330	4.63 X 4.93	7532.54
जून, 2020	332	4.63 X 4.93	7578.19
योग :-			45081.12

वर्ष 2020 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी-जून का औसत - $45081.12 \div 6 = 7513.52$

अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम- घरेलू कामगार,
अधिसूचना संख्या-1056,1057 दिनांक-24.03.2020
गजट संख्या-222 दिनांक-30.03.2020

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि (अकुशल श्रेणी)	दिनांक-01.12.2016+ 01.04.2017+01.10.2017+ 01.04.2018+01.10.2018+01.04.2019 +01.10.2019 +01.04.2020 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.10.2020 से प्रभावी होगी	01.10.2020 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	बरतन धोना (प्रति घंटा)	707.00+14.00+14.00+22.00+8.00+34.00+28.00+28.00 =855.00	15.00	870.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना/बरतनधोना (प्रति घंटा)	707.00+14.00+14.00+22.00+8.00+34.00+28.00+28.00 =855.00	15.00	870.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना/कपड़ा धोना एक हजार स्काव्बर फीट में पोछा लगाना (प्रति घंटा)	707.00+14.00+14.00+22.00+8.00+34.00+28.00+28.00=855.00	15.00	870.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना/बरतन धोना/ पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	5645.00+113.00+115.00+176.00+60.00+270.00+266.00+225.00=6830.00	113.00	6943.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना/बरतन धोना पोछा लगाना/बच्चों की देखभाल करना /बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलू विविध कार्य करना (08 घंटा)	5645.00+113.00+115.00+176.00+60.00+270.00+266.00+225.00=6830.00	113.00	6943.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2020 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2020 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

2. पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-5/एम0डब्लू0-401/07 श्र0सं0-2625 एवं 2626, दिनांक- 21.09.2020 को एतद द्वारा रद्द किया जाता है।

(सं० 5/एम0डब्लू0-401/07-2662/श्र0सं0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

23 सितम्बर 2020

एस0ओ0 180, दिनांक 23 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम0डब्लू0-401/07-2663/श्र0सं0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

The 23rd September 2020

S.O. 179, Dated 23rd September 2020— In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January,2020	330	4.63 x 4.93	7532.54
February,2020	328	4.63 x 4.93	7486.89
March,2020	326	4.63 x 4.93	7441.24
April,2020	329	4.63 x 4.93	7509.72
May,2020	330	4.63 x 4.93	7532.54
June,2020	332	4.63 x 4.93	7578.19
Total			45081.12
Average :-45081.12 ÷ 6 = 7513.52			

SCHEDULE -1 (B)

- 1- Name of Employment :- Domestic Workers
Notification No:- 1055,1056 dated :- 24-03-2020
Gazette No. - 222 dated: - 30.03.2020

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.12.2016 +01.04.2017 +01.10.2017 +01.04.2018+01-10-2018+ 01-04-2019+01-10-2019 +01-04-2020 Minimum Wage Fixed (In.Rs.)	Amount of V.D.A which is effective from the date- 01-10-2020	Total rates of wages effective from the date 01-10-2020 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1	Washing the utensils (Per hour)	707.00+14.00+14.00+22.00+8.00 +34.00+28.00+28.00=855.00	15.00	870.00 Permonth

2	Washing the clothes/ washing the Utensil (Per hour)	707.00+14.00+14.00+22.00+8.00 +34.00+28.00+28.00=855.00	15.00	870.00 Permonth
3	Washing the clothes/ washing the utensil house keeping (A. House of 1000 Sq. ft.) (Per hour)	707.00+14.00+14.00+22.00+8.00 +34.00+28.00+28.00=855.00	15.00	870.00 Permonth
4	Washing the cloths/washing the utensils House Keeping and looking after the children (Eight hours)	5645.00+113.00+115.00+176.00 +60.00+270.00+266.00+225.00 =6830.00	113.00	6943.00 Permonth
5	Washing the cloths/washing the utensils House Keeping and looking after the children/ and taking to school and back other miscellaneous domestic works. (Eight hours)	5645.00+113.00+115.00+176.00 +60.00+270.00+266.00+225.00 =6830.00	113.00	6943.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even it the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised , there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of Variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June, 2020** will be payable at the aforesaid rates from **October, 2020** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

2- The previously issued notification no- 5/एम0डब्लू0-401/07 श्र0सं0-2625 एवं 2626, Dated-21.09.2020 are hereby cancelled.

(No-5/ M.W.- 401 /07 -2662/L&R)
By the order of the Governor of Bihar,
Suryakant Mani,
Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 631-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>